न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA153 Prabhuram Vs State etc

प्रभुराम उर्फ प्रभुसिंह पुत्र पूनाराम उर्फ पूनमसिंह राजपुरोहित
निवासी ग्राम बडली, तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 20/2014 राजस्थान सरकार बनाम प्रभुसिंह उर्फ प्रभुराम

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 20/2014 राजस्थान सरकार बनाम प्रभुसिंह उर्फ प्रभुराम में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 14 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर के खसरा संख्या 328 रकबा 96 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी-अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि है, मगर अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन-विभाग द्वारा गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण की कार्यवाही में अवैध खनन का कार्य किया जाना पाया गया। अतः इस खातेदार की वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी-अपीलाण्ट को तलब किया गया, मगर अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार करते हुए आराजी खसरा संख्या 328 रकबा 96 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा बडली में से खनन कार्य हेतु प्रयुक्त की गयी भूमि सिवायचक घोषित कर राज्य सरकार को समायोजित कर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी समाप्त कर दी। उक्त आदेश के खिलाफ़ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 01 फरवरी 2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी-अपीलाण्ट ने विस्तृत जबाब के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर जाहिर कर दिया था कि महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8, जोधपुर महानगर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 950/2006 में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार का अवैध खनन करने का दोषी नहीं माना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जबाब व निर्णय की प्रति अभिलेख पर ले ली गयी। मगर उसके बावजूद भी उस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि मौका रिपोर्ट में साफ वर्णित किया गया है कि वक्त मौका रिपोर्ट कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। खसरा सख्या 328 के कई सहखातेदार है, जिनके मध्य आदिनांक तक औपचारिक कोई बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस आधार व सुनवाई का अवसर दिये अकेले अपीलाण्ट को ही अवैध खनन के लिए दोषी करार दिया जाना न्यायोचित एवं विधिमान्य नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रकरण में प्रतिवाद की स्थिति में आवेदन में एक नियमित वाद की तरह ही परीक्षण किये जाने का प्रावधान है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो आलौच्य मामला दैनिक कॉजलिस्ट में अंकित किया गया, न पक्षकारान की साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी और न सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलाण्ट्स की जानकारी के बिना ही एकमुश्त सभी समान प्रकरणों में एक जैसा आदेश पारित कर दिया गया, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, जो भूमि अवैध खनन हेतु प्रयुक्त किया जाना समूचे प्रकरण में बार-बार बताया जाता रहा है, उसका मात्र क्षेत्रफल ही अंकित किया जाता रहा है, किसी भी स्तर पर उस विशिष्ट भू-भाग का वर्णन नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि भौतिक तौर पर मामले में मौका मुआयना किया ही नहीं गया, अपितु मात्र कागजी कार्यवाही कर खानापूर्ति की गयी है।

इसके अतिरिक्त मौका मुआयना कब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र कब प्रस्तुत किया गया? यह भी विचारणीय है, इस संबंध में मौका मुआयना करने की निश्चित दिनांक की जानकारी कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में परिसीमा विहित तीन साल की निर्धारित संमयावधि में पेश किया जाना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मियाद के संबंध में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के अन्य खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया, अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, इन सभी कारणों से अपीलाधीन आदेश की अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 09 अक्तूबर 2019 को पटवारी हळका एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा अपीलाण्ट संख्या एक को कहने पर अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी हुई, तब अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त करने के बाद तुरन्त आलौच्य अपील पेश कर दी गयी हैं। अतः अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आपराधिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी-अपीलाण्ट ने जबाब-प्रार्थनापत्र एवं उसके साथ (पत्रावली के पेज संख्या 10 से 26तक) महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8, जोधपुर महानगर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 950/2006 राजस्थान राज्य बनाम प्रभूराम उर्फ प्रभुसिंह पुत्र पूनमाराम राजपुरोहित में पारित निर्णय दिनांक 03 मई 2013 की प्रति पेश की, जिसमें न्यायालय द्वारा आराजी खसरा संख्या 328 में प्रभुराम उर्फ प्रभुसिंह द्वारा अवैध खनन किया जाना संदेह से परे सिद्ध होना नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में उक्त निर्णय एवं अपीलाण्ट के जबाब-प्रार्थनापत्र का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है।

समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 328 में अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर अवैध खनन किया जाना वर्णित किया गया है, मगर उसका हिस्सा खसरा संख्या 328 के सम्पूर्ण रकबे में कितना? किस तरफ है? यह पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2013 तथा अन्य किसी भी स्तर पर स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के हिस्से की भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसीलदार को दिये गये है। **मगर अपीलाण्ट के हिस्से का यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हदूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के मामले एक नियमित वाद की भांति ही प्रकिया अपनाई जाकर निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि --

> 177(4) If appearance is made within the time specified in the notice and the liability to ejectment is contested, the court shall, on payment of the proper court fees, treat the application to be plaint and proceed with the case as a suit:

मगर पत्रावली में अपीलाण्ट के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही का वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्ति की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अभाव में धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार निर्वासित नही हो सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हळका की मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2013 के अनुसार भी वक्त मौका निरीक्षण मौके पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं हो रहा था। मगर खनन के अलामात पाये जाना वर्णित किया गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन पाया जाता है जो विधिसम्मतः नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 328 के सभी रिकार्डेड खातेदारान सहित समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कियाजाकर नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रार्थनापत्र का विधिसम्मतः धारा 177 की उपधारा (4) के प्रावधानों की पालना करते हुए निस्तारण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर